

कार्यालय संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) अजमेर संभाग अजमेर
आख्यात्मक आदेश (Speaking Order)

श्री रवि कुमार मुंदडा, वरिष्ठ अध्यापक (विज्ञान) का स्थानान्तरण Maharana Govt Senior Secondary School Jahazpur Bhilwara से Govt Senior Secondary School Chainpura आदेश दिनांक:-30.9.2021 के द्वारा किया गया जिसके विरुद्ध श्री रवि कुमार मुंदडा ने माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर के समक्ष अपील संख्या:-4563/2021 विभाग/राज्य सरकार के विरुद्ध पेश की माननीय अधिकरण द्वारा उक्त अपील का निस्तारण करते हुये इस बाबत आदेश दिये की "The order is prima facie in violation of Rajasthan TA/DA rules ,1971 sub rule 17(1)(4) . The order is therefore ,set aside at this stage itself for being in violation of Rajasthan TADA rules , 1971(1)(4) . However ,the respondent will be free to pass a fresh order in accordance with rules.

माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश की अनुपालना में अपीलार्थी को आदेश दिनांक:-15.11.2021 जारी कर TADA का लाभ प्रदान किया गया । श्री रवि कुमार मुंदडा ने आदेश दिनांक:-15.11.2021 को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के समक्ष चुनोति दी । श्री रवि कुमार मुंदडा द्वारा पेश की गई याचिका पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने सूनवाई करते हुये आदेश दिनांक:-7.2.2022 से याचिका का निस्तारण करते हुये Respondents को याचि के अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश दिये ।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित आदेश की निदेशालय बीकानेर से प्राप्त अनुपालना स्वीकृति के पश्चात याचि के अभ्यावेदन के निस्तारण के संबंध में कार्यवाही करते हुये याचि से संबंधित पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का मेरे द्वारा ध्यान पूर्वक आवलोकन/अध्यन्न किया गया याचि ने अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्वास्थ्य कारणो से (हृदय की वाल्व प्रत्यारोपण सर्जरी) स्थानान्तरण में संशोधन का निवेदन कर निम्न तीन स्थानो में से किसी एक स्थान पर संशोधन किये जाने का निवेदन किया हैं ।

वर्तमान परिस्थितियों में स्वास्थ्य के बिन्दु को महत्वपूर्ण मानते हुये निम्न निम्नहस्ताक्षरकर्ता यह महसूस करते हैं की यदि याचि के अभ्यावेदन को स्वीकार किया जाता है तो किसी भी पक्ष के अधिकारो पर विपरित प्रभाव नही पडेगा ऐसी स्थिति में याचि के अभ्यावेदन को स्वीकार किया जाना उचित होगा ।

अतः याचि के अभ्यावेदन को स्वीकार किये जाने के आदेश प्रदान किये जा कर याचि का स्थान परिवर्तन करते हुये याचि का पदस्थापन राउमावि गुढा (जहाजपुर) भीलवाडा किये जाने के आदेश दिये जाते हैं ।

उक्तानुसार याचि द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का निस्तारण करते हुये माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के आदेश की अनुपालना सूनश्चित की जाती हैं ।

संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)

अजमेर संभाग अजमेर

कार्यालय संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) अजमेर संभाग अजमेर

Office contract No-0145-2621991 Email ID-jdeduajmer@gmail.com


ब्रमांक:-स.नि/स्कूल शिक्षा/अज/संस्था-4/फा-कोर्ट केस/2022/ दिनांक:-7.4.2022

2/08

21/04/2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. श्रीमान निदेशक ,माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को पत्र क्रमांक:-शिविरा/माध
/विधि/बी-2/जोध/नि0/29803/बी/2022/4 दिनांक:-30.3.2022. के सन्दर्भ
में सादर प्रेषित हैं ।
2. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी भीलवाडा को वास्ते पालना सूनिश्चित कराने वास्ते ।
3. मुख्य ब्लांक शिक्षा अधिकारी जहाजपुर (भीलवाडा) ।
4. मुख्य ब्लांक शिक्षा अधिकारी शाहपुरा -भीलवाडा ।
5. प्रधानाचार्य महाराणा राउमावि जहाजपुर -भीलवाडा ।
6. प्रधानाचार्य राउमावि चेनपुरा (आसींद) भीलवाडा ।
7. प्रधानाचार्य राउमावि ~~आमली कला (शाहपुरा)~~ भीलवाडा ।
8. प्रभारी सामान्य-3, ~~कार्यालय हाजा~~ ^{मुंडा जहाजपुर} ।
9. श्री रवि कुमार मुंदडा, वरि.अध्या, (विज्ञान) राउमावि जहाजपुर भीलवाडा ।
10. गार्ड पत्रावली ।
11. कार्यालय प्रति ।


संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) 31/4/22
अजमेर संभाग अजमेर